कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला भिण्ड(म.प्र.)

विज्ञप्ति

भिण्ड दिनांक

क्रमांक क्यू–8/भू–अभि/स्था./2009 पटवारी चयन परीक्षा 2008 में व्यापम द्वारा घोषित संशोधित परीक्षा परिणाम के अनुसार पटवारी चयन परीक्षा 2008 में उत्तीर्ण एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं विकलांग उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाने हेतु दिनांक 6.4.2010 को 140 से 110 तक अंक प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे । दिनांक 8.4.2010 को 109 से 80 तक अंक प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग के उम्मीदवार उपस्थित होंगे । दिनांक 13.4.2010 को 79 से 50 तक अंक प्राप्त करने वाले समस्त संवर्ग के उम्मीदवार उपस्थित होंगे । दिनांक 16.4.2010 को 49 से 25 तक अंक प्राप्त करने वाले समस्त संवर्ग के उम्मीदवार उपस्थित होंगे एवं दिनांक 20.4.2010 को 24 से 1 तक अंक प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग(सामान्य,पि.वर्ग,अनु.जा.,अनु.जनजाति,भूतपूर्व सैनिक/विकलांग) के उम्मीदवार उपस्थित होंगे ।

इस संबंध में यह भी उल्लेख्य है कि यदि व्यापम द्वारा चयनित सूची का कोई भी उम्मीदवार किसी भी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सका है तो उन्हें भी इन काउंसलिंग दिनांकों को अपने आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने का अवसर दिया जाता है परन्तु उन्हें इस आशय का एक सपथ पत्र अवश्य देना होगा कि उनके द्वारा आज दिनांक तक कभी भी किसी भी काउंसलिंग में अपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं । समस्त (अपात्र) जिले द्वारा घोषित सूची के अनुसार अपात्र उम्मीदवारों को उक्त काउंसलिंग में अपना अभिलेख जमा करने की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी अपात्र उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । काउंसलिंग में अभिलेख प्रस्तुत करने वाले समस्त उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा , यदि उनके द्वारा कोई कूट रचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

समस्त उम्मीदवारों की काउंसलिंग उपर्युक्त दिनांकों को ही कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा में कार्यालयीन समय में की जायेगी । काउंसलिंग दिनांक के पश्चात उपस्थित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । जिसमें उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र जैसे :– मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र , शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र , कम्प्यूटर डिप्लौमा (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी सी ए या कम्प्यूटर में उच्च शिक्षा) जीवित रोजगार पंजीयन , विकलांगता आदि समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रतियों के दो दो सेट एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पटवारी चयन परीक्षा में बैठने संबंधी प्रवेश पत्र मय दो पास पोर्ट साइज के फोटो ,व्यवसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त संशोधित परिणाम की अंक सूची राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर काउंसलिंग दिनांक को समक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।

समस्त उम्मीदवारों को विवाह एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र भी काउंसलिंग दिनांक को प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किय गये अभिलेख सत्य हैं एवं उनकी असत्यता की दशा में अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन स्वयमेव निरस्त माना जावे तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतन्त्र है ।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला भिण्ड

nazul